

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर 2014—आश्विन 7, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

अधि. क्र. 33-एफ-1-42-2005-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, नगरपालिका परिषद् कोलार के गठन के संबंध में जारी “मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण”, दिनांक 23 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 51-एफ-1-42-2005-अठारह-3, दिनांक 23 दिसम्बर 2005 को विखंडित करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 33-एफ-1-42-2005-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-42-2005-अठारह-3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव,

Bhopal, the 29th September 2014

Not. No. 33-F-1-42-2005-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, hereby, rescinds this department's Notification No. 51-F-1-42-2005-XVIII-3, dated 23rd December 2005 published in the “Madhya Pradesh Gazette Extra-ordinary”, dated 23rd December 2005, issued in respect of constitution of Municipal Council Kolar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYAA, Dy. Secy.